


की जारी की जाती हैं कि :-

## आदेश

काद वादीगण मुताबिक राजीनामा  
डिक्री किया जाता है। राजीनामा डिक्री  
का अभाव रहेगा। मुताबिक राजीनामा  
राजस्व रेकॉर्ड में अमल-दामद हो  
तथा तदनुसार पर्चा डिक्री मूर्तिव हो।  
पत्रावली फ़ैलल शुमार होकर नम्बर  
से काम हो तथा काद तकमील दाखिल  
दफ़तर हो। यह निर्णय आज दिनांक  
02/03/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित  
का एवं न्यायालयी मुद्दा सहित  
खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(रानेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डाड (सुबेडिविज़नरी)  
खण्डेला (सीकर)